



2026:AHC: 168023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2025 वर्ष 2026

किशोर एस

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अजाज अहमद, ऋषिका राज सिंघल, शिवेंद्र राज सिंघल
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: अजय मणि तिवारी, शासकीय अधिवक्ता, प्रवीण कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजाज अहमद, विपक्षी/प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पिता के माध्यम से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और आपराधिक अपील संख्या 54 वर्ष 2025 (किशोर 'एस' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) में विद्वान बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम), प्रथम, हाथरस द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.09.2025 के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड, हाथरस द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 को अपास्त किया जाए। आगे यह प्रार्थना की गई है कि थाना चंदपा, जिला हाथरस में बी.एन.एस. की धारा 191(2), 115(2), 352, 333, 109, 103(1) के अंतर्गत मुकदमा अपराध

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 201 वर्ष 2024 से संबंधित प्रकीर्ण वाद संख्या 14 वर्ष 2025 में पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में उसकी आयु लगभग 17 वर्ष है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि उसे भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मृतक को चोट पहुंचाने के झूठे आरोपों के साथ एफ.आई.आर. में नामजद किया गया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अन्य सह-अभियुक्त, जो वयस्क थे, उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13879 वर्ष 2025 और 20619 वर्ष 2025 में आदेश दिनांक 13.11.2025 और 30.10.2025 द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है और वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता का वाद भी समान आधार पर है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपचारी के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था, यहां तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया है बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट विधि पर विचार किए बिना अपील को खारिज कर दिया। वह 08.12.2024 से बाल संप्रेक्षण गृह में है और उसकी मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी/प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों, अभिलेख के परिशीलन, उस अवधि जितने समय वह संप्रेक्षण गृह में रहा, इस तथ्य कि अन्य सह-अभियुक्त जो वयस्क थे, उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा पहले ही जमानत प्रदान कर दी गई है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया था, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2025 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के पिता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/पिता एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/पिता आगे इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखेगा, जिसे उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/पिता प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा जो किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

11 अगस्त, 2026

सूरज श्रीवास्तव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

Translated Versionn. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”